



कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिलाचिकित्सालय, दन्तेवाड़ा  
जिला - दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

दूरभाष / फ़ैक्स क्रमांक :- 07856 - 252830

ई मेल :- [cs.dantewada@gmail.com](mailto:cs.dantewada@gmail.com)

\*\*\*\*\*

क्रमांक / सिस / स्था. / 2024 / 4175

दन्तेवाड़ा दिनांक:- 22 / 2 / 2024

संशोधित संविदा भर्ती संक्षिप्त विज्ञप्ति  
(वर्चुवल इन्टरव्यू)

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक / सिस. / स्था. / 2024 / 4164 दन्तेवाड़ा, दिनांक:- 21 / 02 / 2024 में अंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा अनुमोदित दिनांक 12.02.2024 को प्राप्त अनुमोदनानुसार जिला खनिज न्यास निधि (DMF) मद से रिक्त पद के विरुद्ध आवश्यकतानुसार स्वीकृत चयन समिति के माध्यम से NIC के सहयोग से हेतु विविध पदों को संविदा (डी.एम.एफ.) का निम्नानुसार तिथि में प्रसारित किया जाना प्रस्तावित है:-

01. संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी तिथि :- 22.02.2024
02. आवेदन भरने की अंतिम तिथि :- 29.02.2024 दिन गुरुवार रात्रि 12.00 बजे तक।
03. वर्चुवल इन्टरव्यू तिथि पद क्रमांक 01 से 06 तक :- 02.03.2024 दिन शनिवार प्रातः 11.00 बजे से।
04. वर्चुवल इन्टरव्यू तिथि पद क्रमांक 07 के लिए :- 02.03.2024 दिन शनिवार सायं 04.00 बजे से।

उपरोक्त प्रस्ताव संबंधित संक्षिप्त विज्ञप्ति वाक इन इन्टरव्यू दस्तावेज व अन्य जानकारी/अवलोकन जिला दन्तेवाड़ा के वेब साईट [www.dantewada.gov.in](http://www.dantewada.gov.in) जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (NIC) जिला दन्तेवाड़ा अथवा कार्यालय सिविल सर्जन दन्तेवाड़ा में देखी जा सकती है।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक  
जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा (छ.ग.)



कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा  
जिला :- दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

\*\*\*\*\*  
क्रमांक/सिस./स्था./2024/4175 दन्तेवाड़ा दिनांक 22/02/2024

संशोधित संविदा भर्ती संक्षिप्त विज्ञापित  
(वर्चुवल इन्टरव्यू)

कार्यालयीन विज्ञापित क्रमांक/सिस./स्था./2024/4164 दन्तेवाड़ा, दिनांक:-21/02/2024 में अंशिक संशोधन करते हुए जिला खनिज न्यास निधि (डी.एम.एफ.) के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा के स्वीकृत पद के विरुद्ध एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए पूर्व में सृजित चिकित्सा विशेषज्ञों एवं चिकित्सा अधिकारी के विभिन्न पदों पर कलेक्टर महोदय जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा हेतु 08 चिकित्सा विशेषज्ञों एवं 10 चिकित्सा अधिकारियों के पदों को संविदा (डी.एम.एफ.) के अन्तर्गत सरल क्रमांक 01 से सरल क्रमांक 07 तक पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिये संक्षिप्त विज्ञापित (वर्चुवल इन्टरव्यू) के माध्यम से चयन किया जाना है।

S.NO.	Post Details	Payment	Number Of Posts	Qualification
1.	GYNECOLOGIST	220000/-	02	Essential Qualification- MBBS&PG Degree/Diploma in Respective Specialty with Registration in Concerned Medical Council, Salary Negotiable as per essential Qualification & Clinical work
2.	PEDIATRIC (MD)	220000/-	02	
3.	ANESTHESIOLOGIST	220000/-	01	
4.	PATHOLOGIST	220000/-	01	
5.	ENT SPECIALIST	220000/-	01	
6.	ORTHOPAEDICIAN	220000/-	01	MBBS Degree with Registration in Concerned Medical Council, Salary Negotiable as per essential Qualification & Clinical work
7.	MEDICAL OFFICERS	120000/-	10	

01. संक्षिप्त विज्ञापित जारी तिथि :-22.02.2024
02. आवेदन भरने की अंतिम तिथि :- 29.02.2024 दिन गुरुवार रात्रि 12.00 बजे तक।
03. वर्चुवल इन्टरव्यू तिथि पद क्रमांक 01 से 06 तक :- 02.03.2024 दिन शनिवार प्रातः 11.00 बजे से।
04. वर्चुवल इन्टरव्यू तिथि पद क्रमांक 07 के लिए :-02.03.2024 दिन शनिवार सायं 04.00 बजे से।
05. अभ्यर्थी इस लिंक के माध्यम से अपनी योग्यता संबंधि विवरण अपलोडकर सकेंगे :- <https://forms.gle/VynPPyUSyMnLa8F59>

(नोट- आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाईन साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय एवं वर्चुवल लिंक आवेदक को उपलब्ध कराया जायेगा, अभ्यर्थी आवेदन भरते समय Whatsapp मोबाईल नम्बर देवें)

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक  
जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

## अनिवार्य नियम एवं शर्तें:-

01. संविदा नियुक्ति शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी ।
02. परिस्थिति वश आवश्यकतानुसार विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि अथवा विज्ञापन का पूर्णतः/आंशिक निरस्त किया जा सकता है ।
03. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना अनिवार्य है ।
04. अभ्यर्थियों को चयन पश्चात् उपस्थिति के बाद तीन माह के अन्दर छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीयन कराना अनिवार्य है ।
05. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। किसी भी समय एक माह के पूर्व नोटिस नियुक्तकर्ता अधिकारी को देकर या नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा उम्मीदवार को देकर छत्तीसगढ़ (शासकीय एवं अर्ध स्थाई) नियम 60 के नियम 12 के अन्तर्गत सेवा समाप्त की जा सकती है। तथा एक माह की सूचना दिये बगैर यदि वे अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहते हों तो एक माह का वेतन तथा भत्ता या ऐसी अवधि का वेतन जो एक माह के नोटिस की अवधि से कम नहीं हो देना होगा।
06. संविदा नियुक्ति हेतु नेगोशिएबल मानदेय प्रतिमाह एकमुस्त वेतन की पात्रता होगी। मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
07. सेवा समाप्ति के बाद कर्मियों को किसी भी प्रकार की पेंशन भत्ता का अन्य राशि नहीं दी जायेगी ।
08. कसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कदाचारण के आरोप में हटाये गये ब्लेक लिस्ट अथवा कार्य क्षमता पूर्वक नहीं करने के कारण सेवा वृद्धि नहीं किये गये व्यक्ति/अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं होंगे ।
09. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत उम्मीदवारों को अपना नियुक्ता संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन में सलग्न करना अनिवार्य है ।
10. कार्य असंतोषजनक व कदाचार में लिप्त पाये जाने पर तत्काल सेवा समाप्त की जा सकेगी।
11. संविदा नियुक्ति के पश्चात् राज्य शासन के नियमित पदों पर कोई दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी।
12. सेवा अवधि के दौरान सेवा अवधि की समाप्ति पश्चात् किसी प्रकार से दावा आपत्ति कि पात्रता नहीं होगी।
13. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्ति कर्मचारी को पदस्थापना स्थान पर ही मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा। किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानों से आना-जाना अनुमत्य नहीं होगा तथा एसा पाये जाने पर सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
14. इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति को किसी प्रकार के स्थानान्तरण के हकदार नहीं होंगे।
15. नेगोशिएबल मानदेय के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की प्रोत्साहन राशि/सी.आर.एम.सी. की राशि देय नहीं होगी।
16. शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थान में सम्बन्धित कार्यक्षेत्र का अनुभव को ही मान्य किया जायेगा ।
17. चयन समिति के अध्यक्ष एवं समिति के सदस्यों का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
18. उपरोक्त रिक्त पदों पर चयन कलेक्ट महोदय जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा द्वारा अनुमोदन उपरान्त गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधीन किया जावेगा।
19. अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र अनफिट होने की स्थिति में नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
20. अवकाश एवं अन्य सुविधायें संविदा नियम वर्ष 2012 के नियमों के अनुरूप दी जावेगी।
21. विज्ञापन में सरल क्रमांक 01 से 06 तक के पदों के लिए आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष होगी एवं सरल क्रमांक 07 के पदों हेतु आयु सीमा अधिकतम 60 वर्ष होगी।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक  
जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा (छ.ग.)